राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1427/2025 ग्यारसी देवी बनाम रामरतन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने आपत्ति जाहिर करते हुये हमारा ध्यान अपीलाधीन आदेश की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिस अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/08/2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है वह आदेश धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्थगन पर पारित आदेश एवं ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका पेश की जा सकती है एवं ऐसे आदेश को अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने का कोई क़ानूनी प्रावधान निहित नही है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही होने से ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह अपील पोषणीय होने का कथन किया एवं दिनांक 16/12/2025 को माननीय राजस्व मण्डल का पत्रांक राम/न्याय/मुन्तकिली/2025/11289 दिनांक 27/11/2025 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा माननीय राजस्व मण्डल ने पैरावाईज टिप्पणी तलब की है। इस सन्दर्भ में अपील पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अधिवक्ता रेस्पो. के कथन उचित प्रतीत होते है कि धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पर पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नही है। ऐसे में जब अपील इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही है तो उसे अनावश्यक चलाये जाने का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है। अत: अपील अपीलार्थी पोषणीय नही होने से ख़ारिज की जाकर माननीय राजस्व मण्डल को रिपोर्ट मय आदेश प्रेषित की जावे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	